न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/16

नोरत पुत्र भूरा जाति खटीक उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी कल्याणपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर । —प्रार्थी

बनाम

1.गणपत पुत्र भूरा जाति खटीक
2.मोहन पुत्र सुखदेव जाति खटीक
3.मदन पुत्र सुखदेव जाति खटीक
4.महावीर पुत्र सुखदेव खटीक
5.प्रभु पुत्र सुखदेव खटीक
6.मुली पत्नी सत्यनारायण जाति खटीक
7.सोनू पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक
8.महेन्द्र पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक
निवासीगण कल्याणपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टांटोटी जिला अजमेर
10.पटवारी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील टांटोटी जिला अजमेर

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थन काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :— श्री विष्णु कुमार व्यास वकील —प्रार्थी
श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ —वकील अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 23.1.18

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील टांटोटी जमाबंदी संवत् 2067—70के खाता संख्या नया—पुराना 32—37 खसरा नम्बर 939 रकबा 06.17.00 बीघा दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92 एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी के पिता भूरा जी ने अपने जीवनकाल मे आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व पारिवारिक विभाजन मे उसके तीन पुत्र क्रमशः प्रार्थी नोरत,अप्रार्थी संख्या 1 गणपत एवम् सुखदेव को दे दी थी तीनो ही भूरा जी की जायन्दा संतान है तीनो ने ही उपरोक्त आराजी का मौके पर बराबर बराबर हिस्सा अनुसार विभाजन कर लिया । तभी से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है सुखदेव जी की मृत्यु हो चुकी है। उसके पॉच पुत्र क्रमशः मोहन,सत्यनारायण,मदन,महावीर,प्रभु हुए जिसमे से सत्यनारायण की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस उसकी पत्नी भूली व उनके पुत्र सोनू व महेन्द्र है। इस प्रकार सुखदेवजी के वारिस अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5 जो उनके पुत्र है एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 सुखदेव जी पुत्र सत्यनारायण (मृतक) के वारिसान है। उपरोक्त आराजी पक्षकारान् के संयुक्त कब्जे काश्त मे अपने पूर्वजों के समय से चली आ रही है एवं आज भी पक्षकारान का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है मौके पर आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व पारिवारिक विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से का कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुका है,एवं घोषित होने का हकदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 भी1/3 हिस्से का एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के हकदार है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज है । प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी कानून प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम नियमन होनी चाहिए थी लेकिन राजस्व अधिकारियों की गलती से उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई जो वर्तमान मे उसी के नाम है जो कार्यवाही गलत है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के नाम भी दर्ज होनी चाहिए थी। अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब है । वह प्रार्थी को प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर कब्जा आधिपत्य करने पर प्रयासरत है एवं यह रवैया इन्होने दिनांक 15.11.2015 से जारी कर रखा है। मना करने पर नहीं मान रहा है तब प्रार्थी ने कानूनी कार्यवाही हेतु राजस्व अभिलेख से जानकारी की एवं नकले प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आराजी राजस्व अधिकारियों

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

की गलती से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी है। जो कतई गलत है। इस बाबत् प्रार्थी ने दिनांक 16.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 को भी राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होने कोई परवाह नहीं की। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 9 व 10 को भी रिकार्ड दुरूस्त कर वादवर्णित आराजी प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने हेतु दिनांक
17.11.2015 को निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही हेतु कहा। जिससे दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस रखी गई। प्रार्थी के लायक वकील श्री विष्णु कुमार व्यास की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया,तथा अप्रार्थीगण उनके नोकर चाकर इत्यादि को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त मे बाधा डालने एवं दीगर को विक्रय हस्तान्तरित करने से रोका जाने व ऐसा कोई कार्य करने से रोका जाने का निवेदन किया जिससे प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के संयुक्त कब्जे काश्त मे बाधा महसूस करे। अप्रार्थी संख्या 1 के लायक वकील श्री महेन्द्र सिंह राणावत् ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने कपोल कल्पित कथनो पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। आराजी प्रश्नगत अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त हक अधिकार चला आ रहा है।

मैने वकील पक्षकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। ग्राम कल्याणपुरा की जमाबंदी संवत् 2067–70 के खाता संख्या नया–पुराना 32–37 पर दर्ज खसरा नम्बर 957 रकबा 04.08.00 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 गणपत वल्द भूरा कौम खटीक साकिन देह के नाम है। इस न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष मे साबित कर पा रहा है अथवा नही?प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का है। प्रार्थी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे उसका कब्जा काश्त पाया जावे अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण,सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष मे साबित नहीं कर पाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने बाबत् खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे तय होगा । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़

Scanned by CamScanner